

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

PUBLIC WEB SERVICE**CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति -**

1.	पात्रता	1. अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र-छात्रा जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो । 2. विद्यार्थी राज्यकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो । 3. राजस्थान का मूल निवासी हो ।
2.	आवेदन कहां किया जायें	कॉलेज के माध्यम से जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है ।
3.	देय लाभ	नियमानुसार फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता देय है ।

अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति -

1.	पात्रता	1. अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्रा जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो । 2. विद्यार्थी राज्यकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो । 3. राजस्थान का मूल निवासी हो ।
2.	आवेदन कहां किया जायें	कॉलेज के माध्यम से जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है ।
3.	देय लाभ	नियमानुसार फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता देय है ।